राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522--2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः— 551 /241/NULM/तीन/2001(SUH) ०१-१० दिनांक 28/7/ 2016

सेवा में,

समस्त परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश

विषयः— दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत निर्मित आश्रय गृहों के पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश विभिन्न नगरीय निकायों में आश्रय गृहों का नया निर्माण और नवीनीकरण का कार्य सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। इनके निर्माण लागत को पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोग और आश्रय गृह के निर्माण/नवीनीकरण की सन्तोष जनक प्रगति के दृष्टिगत तीन किश्तों (40%, 40%, 20%) में अवमुक्त किया जा रहा है। अनेक आश्रय गृहों के निर्माण/नवीनीकरण हेतु उपरोक्त तीनों किश्तें अवमुक्त की जा चुकी है। कतिपय आश्रय गृहों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिन आश्रय गृहों के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है अथवा जिनके जैसे जैसे निर्माण कार्य पूर्ण होते जायें, वहां निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र गतिशील किया जाय—

(1) अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)
(2) पूर्णता प्रमाण—पत्र (Completion Certificate) संलग्न प्रारूप पर।
(3) सम्बन्धित नगरीय निकाय को हस्तगत कराने का प्रमाण पत्र।
(4) अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) को वापस जमा करने सम्बन्धी विवरण।
(5) अन्य अपेक्षित अभिलेख।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आश्रय गृहों का संचालन एवं प्रबंधन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें। उक्त अभिलेख प्राप्त होते ही संचालन एवं प्रबंधन मद में स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र. ।
4. समस्त सी०पी०ओ०/सी०एम०एम०यू०, उ०प्र०।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
6. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक